

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
उर्दू निदेशालय
कार्यालय आदेश

का०आ०सं०-उ०नि०-59/1998.....⁸⁹⁵/

पटना, दिनांक-27.08.26

ज़िला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक-80मु०, दिनांक-27.12.2018 द्वारा श्री मो० शफीउल्लाह, उर्दू अनुवादक-सह-प्रखंड नाजिर, प्रखंड कार्यालय, बथनाहा, सीतामढ़ी के विरुद्ध सामान्य रोकड़ पंजी अद्यतन नहीं करने संबंधी आदेश अवहेलना, कर्तव्य के प्रति लापरवाही के साथ-साथ वित्तीय अनियमितता एवं अस्थायी गबन का आशंका व्यक्त होने के कारण विहित प्रपत्र में आरोप-पत्र (प्रपत्र-"क") गठित कर अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ किये जाने हेतु निदेशालय को अनुशंसा प्राप्त हुई।

2. उक्त के आलोक में श्री शफीउल्लाह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु आरोप-पत्र (प्रपत्र-"क") अनुमोदित किये जाने से पूर्व विभागीय पत्रांक-304, दिनांक-12.03.2019 द्वारा पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर स्थिति स्पष्ट करने हेतु उनसे स्पष्टीकरण की माँग की गयी। निर्धारित अवधि के अन्दर स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने के कारण विभागीय पत्रांक-399, दिनांक-11.04.2019 द्वारा श्री शफीउल्लाह को स्वयं उपस्थित होकर या निबंधित डाक के माध्यम से अपना स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने हेतु पुनः निदेशित किया गया। तदालोक में श्री शफीउल्लाह का स्पष्टीकरण दिनांक-29.03.2019 को प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने प्रभार आदान-प्रदान करने हेतु चालू माह के अंत तक समय देने का अनुरोध किया।

3. श्री शफीउल्लाह से प्राप्त उक्त स्पष्टीकरण को विभागीय पत्रांक-476, दिनांक-06.05.2019 के साथ संलग्न करते हुए स्पष्टीकरण के संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी, बथनाहा, सीतामढ़ी से मंतव्य की माँग की गयी। मंतव्य प्राप्त नहीं होने की स्थिति में विभागीय पत्रांक-522, दिनांक-25.05.2019, पत्रांक-774, दिनांक-15.07.2019 तथा पत्रांक-904, दिनांक-29.08.2019 द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी, बथनाहा, सीतामढ़ी को स्मारित भी किया गया है। तदोपरान्त प्रखंड विकास पदाधिकारी, बथनाहा, सीतामढ़ी के पत्रांक-2524, दिनांक-07.09.2019 द्वारा मंतव्य निदेशालय को प्राप्त हुई, जिसमें श्री शफीउल्लाह को प्रभार आदान-प्रदान करने हेतु अंतिम बार 20 दिनों का समय देने का अनुशंसा की गयी। प्रभार आदान-प्रदान करने हेतु निर्धारित अवधि बीत जाने के बावजूद प्रभार आदान-प्रदान नहीं करने के कारण ज़िला पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा श्री शफीउल्लाह के विरुद्ध प्रेषित आरोप-पत्र (प्रपत्र-"क") को विभागीय आदेश संख्या-215, सहपठित ज्ञापांक-1145, दिनांक-31.10.2019 द्वारा अनुमोदित करते हुए विधिवत् अनुशासनिक कार्यवाही संचालित किये जाने हेतु ज़िला पदाधिकारी, सीतामढ़ी को प्राधिकृत किया गया। श्री शफीउल्लाह के विरुद्ध अधिरोपित आरोप की संक्षिप्त विवरणी इस प्रकार है :-

श्री शफीउल्लाह, उर्दू अनुवादक-सह-तत्कालीन प्रखंड नाजिर, प्रखंड कार्यालय, बथनाहा, सीतामढ़ी के विरुद्ध अधिरोपित आरोप में रोकड़ पंजी के प्रभार नहीं सौंपने, रोकड़ पंजी अद्यतन करने के आदेश की अवहेलना करने, कर्तव्य के प्रति लापरवाही के साथ-साथ वित्तीय अनियमितता एवं अस्थायी गबन की आशंका व्यक्त किया गया। श्री शफीउल्लाह का आचरण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के विपरीत है।

Sanjay *2019*

4. जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के ज्ञापांक-1213, दिनांक-26.12.2019 द्वारा श्री शफीउल्लाह, प्रखंड कार्यालय, बथनाहा, सीतामढ़ी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्ता, सीतामढ़ी को संचालन पदाधिकारी तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी, बथनाहा, सीतामढ़ी को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया गया।

5. श्री शफीउल्लाह के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही की विधिवत् जाँच के पश्चात् जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक-255, दिनांक-31.03.2021 द्वारा श्री शफीउल्लाह के विरुद्ध संचालित अनुशासनिक कार्यवाई से संबंधित जाँच प्रतिवेदन मूल अभिलेख सहित निदेशालय को प्राप्त हुआ। संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री मो० शफीउल्लाह, उर्दू अनुवादक, प्रखंड कार्यालय, बथनाहा, सीतामढ़ी के ऊपर रोकड़ पंजी अद्यतन नहीं करने से आदेश अवहेलना, कर्तव्य के प्रति लापरवाही के साथ-साथ वित्तीय अनियमितता एवं अस्थायी गबन की आशंका व्यक्त करने संबंधी अधिरोपित आरोपों को उपलब्ध अभिलेखों, लिखित प्रतिवेदन/साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित पाया गया है। साथ ही जाँच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री शफीउल्लाह का आचरण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के विपरीत पाया गया है।

6. जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित प्रमाणित आरोपों के आलोक में विभागीय पत्र ज्ञापांक-492, दिनांक-08.06.2021 द्वारा जाँच प्रतिवेदन की छाया प्रति संलग्न करते हुए श्री शफीउल्लाह से अभ्यावेदन/निवेदन (द्वितीय कारण पृच्छा) की माँग की गयी। उक्त के आलोक में श्री शफीउल्लाह द्वारा दिनांक-25.06.2021 को अभ्यावेदन/निवेदन (द्वितीय कारण पृच्छा) निदेशालय को प्राप्त हुआ। श्री शफीउल्लाह से प्राप्त अभ्यावेदन/निवेदन (द्वितीय कारण पृच्छा) में एकसीडेंट में हाथ टूटने का उल्लेख करते हुए रोकड़ पंजी को अद्यतन करने हेतु दो माह का और समय देने का अनुरोध किया गया।

7. विदित हो कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, बथनाहा, सीतामढ़ी के कई पत्रों/स्मार-पत्रों तथा जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के आदेश संख्या-866, दिनांक-11.09.2018 एवं पत्रांक-1072, दिनांक-17.11.2018 द्वारा निदेशित किये जाने तथा 05 वर्षों से अधिक की अवधि बीत जाने के बावजूद श्री शफीउल्लाह द्वारा रोकड़ पंजी को अद्यतन नहीं किया गया। तदालोक में श्री शफीउल्लाह से अपने बचाव के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदन/निवेदन (द्वितीय कारण पृच्छा) में रोकड़ पंजी अद्यतन किये जाने हेतु 02 माह का और समय दिये जाने के अनुरोध को समीक्षोपरांत स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। यह मामला वर्ष-2015 से चल रहा था। इस प्रकार वर्ष-2015 से अनुशासनिक कार्यवाही में जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने तक रोकड़ बही को अद्यतन नहीं किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितता एवं अस्थायी गबन के लगाये गये आरोपों की पुष्टि करता है।

8. श्री मो० शफीउल्लाह, उर्दू अनुवादक-सह-प्रखंड नाजिर, प्रखंड कार्यालय, बथनाहा, सीतामढ़ी से प्राप्त अभ्यावेदन/निवेदन (द्वितीय कारण पृच्छा) में अंकित तथ्यों तथा अनुशासनिक कार्यवाई में संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित आरोपों से संबंधित जाँच प्रतिवेदन, साक्ष्य एवं उपलब्ध अन्य कागजातों की समीक्षा के पश्चात् सम्यक् विचारोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-14(xi) के तहत विभागीय आदेश संख्या-130, सहपठित ज्ञापांक-956, दि०-14.10.2022 द्वारा सेवा से बर्खास्तगी (जो सामान्यता: सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी) का दंड अधिरोपित किया गया।

Sanjeev

9. विदित् हो कि श्री मो० शफीउल्लाह, उर्दू अनुवादक, प्रखंड कार्यालय, बथनाहा, सीतामढ़ी, दिनांक-31.01.2022 को सेवानिवृत्त हो चुके थे। उक्त मामला विभाग के संज्ञान में आने पर श्री शफीउल्लाह के विरुद्ध दंड अधिरोपण से संबंधित विभागीय आदेश संख्या-130, सहपठित ज्ञापांक-956, दि०-14.10.2022 की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत श्री शफीउल्लाह के ऊपर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर संशोधित) के नियम-14(xi) के तहत अधिरोपित दंडादेश संबंधी विभागीय आदेश संख्या-130, सहपठित ज्ञापांक-956, दिनांक-14.10.2022 को वापस लेते हुए श्री मो० शफीउल्लाह के विरुद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि-31.01.2022 से शत-प्रतिशत (100%) पेंशन कटौती का दंड अधिरोपित किया जाता है।

10. इसमें अनुशासनिक प्राधिकार (अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग) का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(एस०एम० परवेज़ आलम)

अपर सचिव-सह-निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- उ०नि०-59/1998/1730/

पटना, दिनांक-27.08.26

प्रतिलिपि :- श्री मो० शफीउल्लाह, तत्कालीन उर्दू अनुवादक-सह-प्रखंड नाजिर, प्रखंड कार्यालय, बथनाहा, सीतामढ़ी, स्थायी पता :- ग्राम+पो०-मोतीपुर, वार्ड नं०-06, थाना-मोतीपुर, जिला-मुजफ्फरपुर, पिन-843111 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई०टी० प्रबंधक, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रखंड विकास पदाधिकारी, बथनाहा, सीतामढ़ी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला कोषागार पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, जिला उर्दू भाषा कोषांग, समाहरणालय, सीतामढ़ी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस०एम० परवेज़ आलम)
अपर सचिव-सह-निदेशक।

Sanjeeb

24/8/26